राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1721/2024

डॉ. अनुराधा साल्वी

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.04.2024
आदेश की दिनांक : 06.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर से सीएचसी, पांचौडी, नागौर किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 4582/2022 के द्वारा चुनौती दी थी। उक्त अपील में आदेश दिनांक 03.11.2022 पारित कर यह आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगी। इस अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग आख्यात्मक आदेश के द्वारा नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करेगा। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये दो सप्ताह का समय प्रदान किया गया था। यह भी आदेश दिया गया था कि अभ्यावेदन के निस्तारण तक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 की क्रियान्विति स्थगित रहेगी। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि

अपीलार्थी ने अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर के समक्ष दिनांक 09.11.2022 को अपना अभ्यावेदन (अनुलग्नक–4) प्रस्तुत कर दिया था। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 11.11.2022 को अपना अभ्यावेदन ई–मेल के माध्यम से निदेशक, जन स्वास्थ्य को प्रेषित किया, परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा काफी समय तक विचार नहीं किया गया। बाद में आलोच्य आदेश दिनांक 16.04.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को बिना गुणावगुण पर विचार किये इस आधार पर निरस्त किया कि अपीलार्थी ने दो सप्ताह की अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने दो सप्ताह की अवधि में ही अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और उसे गलत आधार पर खारिज किया गया है।

3. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने जिस स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 को चुनौती दी थी, उसे पारित हुए वर्तमान में डेढ वर्ष से अधिक समय हो चुका है और अपीलार्थी वर्तमान में पूर्व के स्थान पर कार्यरत है। अब इतने अधिक समय पश्चात पूर्व के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 को प्रभाव दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि पूर्व के आदेश दिनांक 03.09.2022 को प्रभाव न दिया जावे एवं उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान से कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के सम्बन्ध में प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत नये सीरे से स्थानान्तरण करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)